



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20122021-232020
CG-DL-E-20122021-232020

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2021/अग्रहायण 29, 1943

No. 371]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2021/AGRAHAYANA 29, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

विषय: दिनांक 16.12.2021 की सार्वजनिक सूचना सं. 43/2015-2020 हेतु शुद्धिपत्र।

फा. सं. 01/61/180/107/एम-21/पी.सी-3/ई-23249.—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा दिनांक 16.12.2021 को प्रकाशित सार्वजनिक सूचना सं. 43/2015-2020 के पैरा-क में यथा-उल्लिखित कॉलम में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

दिनांक 16.12.2021 की सार्वजनिक सूचना 43 के अनुसार 8541 4012 हेतु एमईआईएस क्र.सं.	एचएस कोड 8541 4012 हेतु संशोधित एमईआईएस क्र.सं.
8145	8147

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव : दिनांक 16.12.2021 को जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं. 43/2015-2020 में संशोधन किया गया है जिससे कि एमईआईएस क्र.सं. 8145 को एमईआईएस क्र.सं. 8147 पढ़ा जाए।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th December, 2021

Subject : Corrigendum to Public Notice No. 43/2015-2020 dated 16.12.2021.

F. No. 01/61/180/ 107/AM21/PC-3/E-23249.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following correction in a Column as in the para –A of Public Notice No. 43/2015-2020 published on 16.12.2021.

MEIS Serial no. for 8541 4012 as per PN 43 dated 16.12.2021	Corrected MEIS Serial no. for HS Code 8541 4012
8145	8147

Effect of Corrigendum : A correction has been made in Public Notice 43/2015-20 issued on 16.12.2021 so that MEIS Serial no. 8145 is read as MEIS Serial no. 8147.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
and Addl. Secy.